

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश पर शुल्क-संरचना का प्रभाव

334. सुश्री इकरा चौधरी:
श्री पुष्पेंद्र सरोज:
श्री देवेश शाक्य:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वस्त्र, कालीन, चमड़ा, हस्तशिल्प एवं अभियांत्रिकी वस्तुओं जैसी प्रमुख उत्पाद श्रेणी के अनुसार उत्तर प्रदेश से संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के निर्यात का कुल कितना मूल्य है;
- (ख) विश्व भर में एवं विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के कालीन निर्यात का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए, राज्य-वार कुल मूल्य कितना है;
- (ग) कालीन उद्योग में कार्यरत कारीगरों, बुनकरों एवं सहायक कर्मकारों की कुल संख्या कितनी है और राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार संख्या कितनी है
- (घ) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के निर्यात मात्रा एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) पाकिस्तान, तुर्की एवं बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से बाजार हिस्सेदारी का नुकसान होने से रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख) उत्तर प्रदेश से अमेरिका को निर्यात (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वस्तु विवरण	वित्त वर्ष 2024-25
इंजीनियरिंग सामान	212.97
वस्त्र	850.59

चमड़ा	159.28
कालीन (सिल्क को छोड़कर) हस्तनिर्मित	401.87
हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	151.23

स्रोत: डीजीसीआईएस

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कालीन निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वस्तु विवरण	विश्व	यूएसए
भारत का कालीन निर्यात (रेशम को छोड़कर)	1,496.53	901.55

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में, कालीन उद्योग-प्रधान जिलों में वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत कारीगरों, बुनकरों और सहायक श्रमिकों की संख्या :

ज़िला	कार्यबल की संख्या
संत रविदास नगर (भदोही)	4 लाख
सोनभद्र	5200
सीतापुर	30500
वाराणसी	2500
मिर्जापुर	40000

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार

(घ) और (ङ) वाणिज्य विभाग अमेरिकी टैरिफ उपायों के उत्पन्न प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), प्रभावित क्षेत्रों जैसे वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, समुद्री, रसायन और इंजीनियरिंग वस्तुओं के उद्योग संघों सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से नियोजित है। फीडबैक एकत्र करने, क्षेत्र-विशिष्ट तनाव का मूल्यांकन करने और भारत के व्यापार हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित तत्काल और संरचनात्मक क्रियाकलापों की पहचान करने के लिए निरंतर परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं।

हालांकि, स्थिति की प्रवर्तनशील प्रकृति, इन शुल्कों के लागू होने के बाद से तीन महीने से भी कम की अपेक्षाकृत छोटी अवधि और आर्थिक परिणामों को प्रभावित करने वाले कई कारकों को

देखते हुए, उल्लिखित वेरिफेबल्स पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को, यदि कोई हो, तो सटीक रूप से अलग करना मुश्किल है।

यूएस को पण्यवस्तु निर्यात के मामले में ,अप्रैल-अक्टूबर 2025के अवधि में भारत का निर्यात कार्यनिष्पादन- पिछले वर्ष की इसी समय की तुलना में निम्नवत है:

	अप्रैल-अक्टूबर 2025 (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	अप्रैल-अक्टूबर 2024 (बिलियनअमेरिकी डॉलर)
निर्यात	52.12	47.32

स्रोत: डीजीसीआईएस

सरकार एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन सहभागिता, भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, निर्यात संवर्धन उपाय जैसे कि नया निर्यात संवर्धन मिशन जो हमारे निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है, नए देशों के साथ एफटीए को आगे बढ़ाना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है। उम्मीद है कि ये उपाय भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और लचीलापन भी बढ़ाएंगे।

उपरोक्त उल्लिखित कुछ उपायों का ब्यौरा निम्नवत है:

1. निर्यात संवर्धन मिशन

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूल तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती ज़रूरतों का तेज़ी से प्रत्युत्तर दे सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के ज़रिए काम करेगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन- ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्ट्रिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहयोग जैसे कई साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए बनाया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी नुकसान।

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों को सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। सीजीएसई के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुँच को सक्षम करके, यह लिक्विडिटी को मजबूत करेगा, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित करेगा

और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को सुदृढ़ करेगा।

3. व्यापार राहत उपाय:- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें ऋण पुर्नभुगतान स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

4. मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाना:- सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और उसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में संपन्न एफटीए देशों और यूके के साथ एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है।
